

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)



पावरग्रिड

क्षेत्रीय मुख्यालय : प्लॉट नं. 54, अम्बे विद्यालय के सामने, समा-सावली रोड, वडोदरा - 390 008. (गुजरात)
Regional Head Quarter : Plot No. 54, Opp. Ambe Vidyalaya, Sama-Savli Road, Vadodara - 390 008. (Gujarat)

पश्चिम क्षेत्र पारेषण प्रणाली - II, क्षेत्रीय मुख्यालय
Western Region Transmission System - II, Regional Headquarters

आवेदक का नाम: श्रीमती सुमित्रा भाई,
हा। मु ग्राम केंदईखार (कोटवारिन पारा)
तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)

केंद्रीय प्राधिकरण: पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
पश्चिमी क्षेत्र II, वडोदरा (गुजरात)

प्रस्तुत है: श्री अभिनव वर्मा, सीपीआईओ
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
पश्चिमी क्षेत्र II, वडोदरा (गुजरात)

अपील का आधार :

आवेदक श्रीमती सुमित्रा भाई, कोरबा ने दिनांक 24.06.2019 को सूचना के लिए आनलाइन एक आवेदन दर्ज कराया गया है। अतिरिक्त सूचना के लिए बिना किसी तारीख के एक अन्य आवेदन भी दिनांक 13.06.2019 को प्राप्त हुआ था।

उपलब्ध कराई गई जानकारी: सीपीआईओ ने आवेदन के संबंध में सूचित किया है:

आरटीआई आवेदन के लिए की सूचना के लिए दिनांक 24.06.2019 को जवाब दिया गया है, उपलब्ध कराई गई जानकारी की प्रति 1st अपीलीय प्राधिकारी के अवलोकन के लिए संलग्न है। 1st अपील में आवेदक ने मृतक कर्मचारी श्री वी कन्नन, कर्म. सं. 60020346 की पीएफ राशि और अन्य लाभों राशि की सूचना का अनुरोध किया है।


Contd...2...

अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय

हमें दिनांक 13.06.2019 को प्राप्त आपके बिना तारीख के आवेदन मामले में पूछताछ की गई है और निम्नलिखित देखा गया है :-

दिनांक 13.06.2019 को प्राप्त बिना तारीख की आरटीआई सूचना पत्र के अनुसार श्रीमती सुमित्रा भाई दूसरी पत्नी के रूप में दावा करती हैं और आरटीआई के अनुसार पीएफ और अन्य लाभ राशि की जानकारी देने का अनुरोध किया | जो उत्तर दिया गया था "पावरग्रिड में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार श्रीमती सुमित्रा भाई की दूसरी पत्नी या आश्रित आदि का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (j) के अनुसार पीएफ राशि और अन्य लाभ राशि की जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता है। ।

इसलिए, बिना तारीख की स्पीड पोस्ट से दिनांक 05.08.2019 को प्राप्त आपकी पहली अपील को ऑफ़लाइन के माध्यम से प्राप्त की गई थी, जिसे निस्तारित किया जाता है | इसके अलावा, Rs.100 / - के लिए IPO No.43H 347587 वापिस किया जा रहा है।




अपीलीय प्राधिकारी
पावरग्रिड, डब्ल्यूआर ॥
वडोदरा

संलग्न : जैसा कि ऊपर।

दिनांक : ३०.०८.२०१९

श्रीमती सुमित्रा भाई द्वारा 1 एसटी एपीपीएल के लिए सूचना

1. दिनांक 13.06.2019 को प्राप्त बिना तारीख की आरटीआई सूचना पत्र के अनुसार श्रीमती सुमित्रा भाई दूसरी पत्नी के रूप में दावा करती हैं और आरटीआई के अनुसार पीएफ और अन्य लाभ राशि की जानकारी देने का अनुरोध किया। जो उत्तर दिया गया था "पावरग्रिड में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार श्रीमती सुमित्रा भाई की दूसरी पत्नी या आश्रित आदि का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (j) के अनुसार पीएफ राशि और अन्य लाभ राशि की जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता है।।
2. अपीलीय प्राधिकारी से माँगी गई सूचना है □ श्री वी कन्नन, कर्म सं.60020346 जो पीएफ की राशि और अन्य लाभ की राशि जिसके वे पात्र थे ?" उत्तर है कि श्रीमती सुमित्रा भाई स्वर्गीय श्री वी कन्नन की आश्रित नहीं हैं और यह तीसरे पक्ष की जानकारी है और विशुद्ध रूप से पीएफ राशि और अन्य लाभों आदि जैसे व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है और इसका खुलासा निश्चित रूप से व्यक्ति की निजता का अनुचित हस्तक्षेप का कारण बनता है। अतः क्योंकि आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (जेके) (तहत छूट दी गई है इसलिए इसका खुलासा नहीं किया जा सकता।


(अभिनव वर्मा)
CPIO / WRTS II